भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 1065-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

रमेश पुत्र रामदयाल शर्मा

निवासी ग्राम–कुसमा,

तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

अपर कलेक्टर जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/अ–19 (4)/स्व.निग./05–06 में पारित आदेश दिनांक 26–03–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक के हित में तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 04/अ–19 (4)/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 25–11–2003 को म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रहीं दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकारों पर विवादित भूमि व्यवस्थापित की थी जिसे 12 वर्षो के पश्चात निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, माननीय उच्च न्यायालय ने 2010 रेवेन्यू निर्णय 409 रणवीर सिंह विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य में अभिनिर्धारित किया है कि स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाहीं यथाशीघ्र अथवा अधिकतम 3 माह की अवधि में की जा सकती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सर्वप्रथम दिनांक 16–10–2014 को कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के अनुरूप न होने से ऐसे सूचना पत्र के आधार पर पारित किया गया विवादित आदेश अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है.

4. यह कि, अपर कलेक्टर ने अपने आदेश के अंतिम पद के ठीक पूर्व पद में एक और स्वयं यह स्वीकार किया है कि तहसील प्रकरण की अनियमितताओं की जानकारी 2014 एवं 2015 में हुयी जबकि समय पुनरीक्षण वर्ष 2006 में पंजीबद्व होना दर्शाया गया है इससे यह प्रमाणित होता है कि समस्त कार्यवाहीं मनमानी का परिणाम है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.1065/एक/2015 जिला-छतरपुर

रमेश विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 -08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 100/अ-19(4)/स्व.निग./05-06 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को आयुक्त, जिला सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	